

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2017

जयपुर, दिनांक : 30.08.2017

आदेश

डा. सन्दीप राजोतिया, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.), जिला चिकित्सालय, टोंक को टी.बी.सी., टोंक में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।

साथ ही डा. नरेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी (टी. बी.), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बगरू, जयपुर को टी.बी.सी., जयपुर में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से लगाया जाता है।


राज्यपाल की आज्ञा से,



(पारस चन्द जैन)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर।
- 4- राज्य क्षय रोग अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर।
- 5- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर/जयपुर
- 6- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, टोंक
- 7- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/द्वितीय
- 8- संबंधित अधिकारी
- 9- कम्प्यूटर सेल/निजी/रक्षित पत्रावली
- 10- प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश आज ही विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करावें।



(मोहन लाल वर्मा)  
शासन सहायक सचिव